

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त कार्यालय के रिकार्ड रूम में विभागीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण पर ₹10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि हेतु ₹2,000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत सहायक अनुदान हेतु ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि हेतु ₹100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत मजदूरी मद हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत अन्य आकस्मिक व्यय हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत पेट्रोल, तेल आदि हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹4.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹1.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत गोपनीय सेवा व्यय हेतु राज्यांश के रूप में ₹1.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत अनुरक्षण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में ₹34.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में ₹88.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत मशीन और उपकरण मद हेतु राज्यांश के रूप में ₹24.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति पर राज्यांश के रूप में ₹0.16 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 4406

मद क्रमांक 27

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत मशीन और उपकरण मद हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹20.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत मशीन और उपकरण मद हेतु राज्यांश के रूप में ₹20.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।